मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

"दि कश्मीर फाइल्स" फिल्म को देखने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमण्डल के साथी यह फिल्म देखें. सदस्यगण भी "दि कश्मीर फाइल्स" फिल्म को अवश्य देंखे. सर्वश्री लक्ष्मण सिंह, सज्जन सिंह वर्मा एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा भी तत्संबंधी विचार व्यक्त किए गए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 161 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बहिर्गमन

श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य की भोपाल के नरेला विधान सभा क्षेत्र के कृष्णानगर में गुमटी माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने,

(2) श्री महेश परमार, सदस्य की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अनुबंधित शर्तों के अनुसार वृक्ष न काटे जाने,

(3) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की हटा विकास खंड के मडियादो मार्ग पर अधूरे पड़े पुल निर्माण से आवागमन अवरूद्ध होने,

(4) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर शहर में विभिन्न मार्गो का चौड़ीकरण कराये जाने,

(5) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य की भोपाल के ईश्वर नगर में सड़क किनारे एक टिम्बर मर्चेंट के द्वारा बांस बल्ली के व्यापार से आवागमन बाधित होने,

(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा अवैध कालोनियों को वैध करने में भेदभाव किये जाने,

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में धान खरीदी एवं परिवहन के दौरान धान की कमी होने के कारण ठेकेदार के स्थान पर नोडल अधिकारी को उत्तरदायी ठहराये जाने,

(8) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के बिजवाड़ से लेकर पिपगांव तक 5 जगहों पर सड़क की स्थिति अत्यंत खराब होने,

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा जिले के स्टेशन स्थित कन्या शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने तथा

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ अन्य आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर आज ही पूर्ण किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि – "श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सहमति से आज की कार्यसूची में लगभग सभी विषय आसंदी ने समाविष्ट किये हैं. आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा लगभग 5 घण्टे जिसमें दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्यों द्वारा की जा चुकी है. अब विभागीय मांगों पर मतदान तत्परता से पूर्ण कर तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पारण 23 मार्च, 2022 को किया जाना है. परन्तु अभी तक विभागीय मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी है और वित्तीय कार्य नियत समय-सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है. साथ ही यह प्रस्ताव किया कि वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में उल्लिखित विभागीय अनुदान की मांगों पर मतदान के साथ अन्य आवश्यक कार्य नियमों को शिथिल कर आज ही पूर्ण किये जाएं."

ध्वनिमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने समग्र शिक्षा अभियान, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

7. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था एक माननीय सदस्य को आचरण समिति द्वारा नोटिस जारी किया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि सदस्य श्री जितु पटवारी, सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के तहत विधान सभा के संचालक द्वारा स्पष्टीकरण देने संबंधी नोटिस जारी हुआ है जो नियम प्रक्रिया के विपरीत है और यह निर्वाचित सदस्य के मौलिक अधिकारों का हनन है इसलिये आरोप लगाने वाले खेद व्यक्त करें.

आसंदी ने यह व्यवस्था दी कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम में आचरण समिति को शिकायत संबंधी प्रक्रिया में यह लेख है कि - "कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संस्कृति अनैतिक आचरण के संबंध में विधान सभा अध्यक्ष को शिकायत कर सकता है और वह इसे सभापति आचरण समिति को प्रतिवेदन देने हेतु अग्रेषित करेगा. शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित साक्ष्य, दस्तावेज अन्य सबूत जो आरोपों को सिद्ध करने में सहायक होंगे प्रस्तुत करना होगा. इस पर जवाब मिलने के पश्चात् आचरण समिति अपना निर्णय देगी." इस में कोई दिक्कत नहीं है. शिकायत प्राप्त हुई है.

श्री सज्जन सिंह वर्मा एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने मत व्यक्त किया कि आचरण समिति में प्रकरण तब जाता है जब सदस्य द्वारा विधान सभा की चारदीवारी के अंदर कृत्य किया गया हो.

आसंदी ने पुन: स्थिति स्पष्ट कर यह व्यवस्था दी कि विधान सभा प्रक्रिया नियमों की चतुर्थ अनुसूची देखें, जिसमें सदस्यों द्वारा सदन के भीतर एवं बाहर अपनाई जाने वाली आचार संहिता के नियम दिये गये हैं. इसके नियम 4 में यह उल्लेख है कि - "यदि कोई सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण को अवरूद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण के पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद जब राज्यपाल सदन में उपस्थित हो किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी बाधा-अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन राज्यपाल के प्रति निरादर माना जायेगा और संबंधित सदस्य की ओर से पूर्णत: अमर्यादित व्यवहार और सदन की अवमानना माना जायेगा." इसके तहत सदस्य के संबंध में प्राप्त शिकायत पर संबंधित सदस्य का पक्ष ज्ञात कर समिति देखेगी.

8. बहिर्गमन

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा आचरण समिति संबंधी विचाराधीन प्रकरण को लेकर डॉ. गोविन्द सिंह के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया गया.

9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई एवं उन पर संबंधित विभागीय मंत्रियों के उत्तर पटल पर रखे हुए माने जायेंगे. तद्नुसार -

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य.

(2) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, संजय शर्मा तथा श्रीमती सुनीता पटैल, सदस्यगण की नरसिंहपुर जिले में नदियों से रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(3) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सदस्य की देवास नगर निगम द्वारा छोटे भूखण्ड के नक्शे पास न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की भोपाल के वन भवन का निर्माण समय सीमा में न होने से लागत बढ़ने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर एवं नीमच जिले के अफीम कृषकों की ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य की नहाल जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का वक्तव्य.

(7) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य की गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंजेड़ा में गौशाला का निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(8) सर्वश्री विनय सक्सेना, लखन घनघोरिया तथा नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण की जबलपुर शहर का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलने से नर्मदा नदी का जल प्रदूषित होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

पढ़े हुए माने गए.

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति ने कृषि विकास समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(2) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(3) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(4) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(6) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-भोपाल शहर)
(7) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(8) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
(10) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(11) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
(12) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(13) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(14) श्री बापू सिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
(15) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(16) डॉ. शिशुपाल यादव (जिला-टीकमगढ़)
(17) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(18) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(19) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(20) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(21) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(22) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(23) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(24) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(26) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(27) श्री नीरज विनोद दीक्षित (जिला-छतरपुर)
(28) श्री राम दांगोरे (जिला-खण्डवा)

(29) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(30) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(31) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(32) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(33) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(34) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(35) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(36) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(37) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(38) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(39) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(40) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(41) श्री बैजनाथ कुशवाह (जिला-मुरैना)
(42) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(43) श्री संजीव सिंह (जिला-भिण्ड)
(44) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(45) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव (जिला-खरगोन)
(46) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(47) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(48) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(49) श्री विशाल जगदीश पटेल (जिला-इंदौर शहर)
(50) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(51) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(52) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
(53) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(54) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(55) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(56) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
(57) श्री देवसिंह सैय्याम (जिला-अनूपपुर)
(58) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(59) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(60) सुश्री चंद्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
(61) श्रीमती सुनीता पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(62) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(63) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

13. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगों पर मतदान : मुखबंध (गिलोटिन)

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि "अनुदानों की मांगों पर पूर्व निर्धारित अनुसार दिनांक 14 मार्च से चर्चा प्रारंभ होनी थी किंतु सदन स्थगित हो जाने के कारण चर्चा प्रारंभ नहीं हो सकी. अभी सभी विभागों के मंत्रियों की अनुदान मांगें स्वीकृत होना हैं और कार्य दिवस कम हैं. ऐसी स्थिति में सभी विभागों की मांगों पर समय-सीमा में चर्चा पूर्ण होना संभव नहीं है, यद्यपि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यगण विस्तार से जनहित के विषयों पर चर्चा कर चुके हैं.

अत: वर्णित स्थिति में वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित सभी विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा."

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए नौ सौ नवासी करोड़, अठहत्तर लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 2	विमानन के लिए एक सौ बहत्तर करोड़, इक्यानबे लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए आठ हजार सात सौ चालीस करोड़, बीस लाख, अड़तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 32	जनसम्पर्क के लिए पांच सौ सात करोड़, सत्ताइस लाख, अड़तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 41	प्रवासी भारतीय के लिए तिरासी लाख रुपये,
अनुदान संख्या - 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए एक सौ तिरेसठ करोड़, उन्यासी लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए तीन हजार दो सौ बासठ करोड़, अठ्ठाइस लाख, छप्पन हजार, रुपये,
अनुदान संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास के लिए पांच हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, सत्ताइस लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 57	आनंद के लिए पांच करोड़, एक हजार, रुपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए इक्कीस हजार तीन सौ अठासी करोड़, बानवे लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 40	पंचायत के लिए छह हजार पांच सौ छत्तीस करोड़, ग्यारह लाख, पंचानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 15	घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग के लिए छत्तीस करोड़, सत्रह लाख, पन्द्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 53	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बानवे करोड़, बयालीस लाख, इक्यासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 54	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार पांच करोड़, छियालीस लाख, छह हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य के लिए सात हजार दो सौ तिहत्तर करोड़, दो लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ बीस करोड़, अठ्ठाइस लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए दो सौ पचास करोड़, दस लाख, पन्द्रह हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए छह हजार चार करोड़, उन्यासी लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 10	वन के लिए तीन हजार तीन सौ चौरानवे करोड़, सोलह लाख, चौंसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए तेईस हजार एक सौ छप्पन करोड़, चौरानवे लाख, सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए एक हजार आठ सौ इक्तीस करोड़, उनचास लाख, पचासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए छह सौ तिरासी करोड़, अड़सठ लाख, इक्यावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार दो सौ अट्ठावन करोड़, नब्बे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 22	नगरीय विकास एवं आवास के लिए बारह हजार चौरानवे करोड़, उनतीस लाख, उनतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 3	गृह के लिए नौ हजार चार सौ बयालीस करोड़, बासठ लाख, सत्ताइस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 5	जेल के लिए पांच सौ अठहत्तर करोड़, इक्यानबे लाख, पांच हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिए एक सौ तीन करोड़, अड़सठ लाख, छत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए दो हजार बयालीस करोड़, दस लाख, नौ हजार रुपये
अनुदान संख्या - 33	जनजातीय कार्य के लिए दस हजार तीन सौ तिरेपन करोड़, पचहत्तर लाख, पच्चीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक हजार पांच सौ पचासी करोड़, उनचास लाख, अठासी हजार रुपये,

अनुदान संख्या - 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए पन्द्रह हजार सात सौ पांच करोड़, चौंतीस लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए आठ हजार आठ सौ छियासठ करोड़, तिरेपन लाख, बीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए एक सौ चौबीस करोड़, अन्ठानवे लाख, सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 43	खेल और युवा कल्याण के लिए तीन सौ सैंतालीस करोड़, पैंतीस लाख, चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए एक हजार पांच सौ सैंतीस करोड़, चौरानवे लाख, अठ्ठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 18	श्रम के लिए नौ सौ इक्तीस करोड़, उनहत्तर लाख, इकतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 25	खनिज साधन के लिए पांच सौ बहत्तर करोड़, पैंतीस लाख, अट्ठाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, तिरेपन लाख, निन्यानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 52	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो हजार पांच सौ अट्ठावन करोड़, अड़तीस लाख, अड़तालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दस हजार तीन सौ उन्यासी करोड़, पैंतालीस लाख, बानवे हजार रुपये
अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए सोलह हजार चार सौ चौंतीस करोड़, तेरह लाख, बाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 14	पशुपालन एवं डेयरी के लिए एक हजार चार सौ तैंतालीस करोड़, बत्तीस लाख, तिरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए तीन हजार सात सौ चवालीस करोड़, बाईस लाख, सड़सठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए छह सौ तिरेपन करोड़, तिरानवे लाख, आठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दो सौ छप्पन करोड़, छियानवे लाख, अट्ठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 26	संस्कृति के लिए छह सौ सत्तर करोड़, तिरेसठ लाख, तिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए दो सौ चवालीस करोड़, बासठ लाख रुपये,
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए अठासी करोड़, तेइस लाख, छप्पन हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए एक हजार नौ सौ तेईस करोड़, छियालीस लाख, सैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए चौहत्तर करोड़, छियालीस लाख, एक हजार रुपये
अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए तीन हजार पांच सौ बारह करोड़, छिहत्तर लाख, उनसठ हजार रुपये
अनुदान संख्या - 09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए इकसठ करोड़, पचासी लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 04	पर्यावरण के लिए बाईस करोड़, पन्द्रह लाख, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए दो हजार एक सौ छियानवे करोड़, सतहत्तर लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए छह सौ सड़सठ करोड़, पचासी लाख, चौरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा के लिए सत्ताइस हजार सात सौ इक्यानवे करोड़, सतहत्तर लाख, सात हजार रुपये,
अनुदान संख्या - 38	आयुष के लिए पांच सौ छियासी करोड़, चौरासी लाख, उन्यासी हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

ध्वनिमत से अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामखेलावन पटेल ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री रामखेलावन पटेल ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. विधान सभा समितियों के कार्यकाल में आगामी वर्ष के लिए वृद्धि करने संबंधी: प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि गत वर्ष गठित निर्वाचित एवं अन्य विधान सभा समितियों के द्वारा कोरोना के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके हैं. आज बजट सत्र समाप्ति की ओर है. साथ ही, यह प्रस्ताव किया कि "गत वर्ष गठित विधान सभा समितियों के कार्यकाल में आगामी वर्ष के लिए वृद्धि की जाए."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – "विधान सभा के वर्तमान के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. साथ ही यह प्रस्ताव किया कि - मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12(ख) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

18. विशेष उल्लेख
होली की शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रि-परिषद, माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं.

19. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 12.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2022